पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Azadi Ka Amrit Mahotsav

पीएफआरडीए/2022/31/आरईजी-पीएफ/04 **दिनांक : 20 अक्टूबर, 2022**

परिपत्र

प्रति
एनपीएस-सर्व नागरिक मॉडल के तहत अभिदाताओं एवं एनपीएस टियर-II अभिदाताओं हेतु,

विषय :

(i) एनपीएस निजी क्षेत्र के अन्तर्गत सक्रिय विकल्प के तहत टियर-1 में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में 51 वर्ष की आयु से अंशदान कम करने की किसी भी शर्त के बिना अभिदाता के अंशदान का 75% आवंटित करने के विकल्प को अनुमति देने, और

(ii) सक्रिय विकल्प के तहत टियर-II (वैकल्पिक खाता) में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में 51 वर्ष की आयु से अंशदान कम करने की किसी भी शर्त के बिना अभिदाता के अंशदान का 100% आवंटित करने के विकल्प को अनुमति देने के सन्दर्भ में।

प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र संख्या PFRDA/2018/03/PF/03 दिनांक 22, मई 2018 का सन्दर्भ लिया जाए।

2. एनपीएस-सर्व नागरिक मॉडल के तहत अभिदाताओं के पास, पंजीकृत पेंशन निधियों में से किसी एक के चयन और 'सक्रिय विकल्प' के तहत 04 आस्ति वर्गों अर्थात् इक्विटी (ई), कॉर्पोरेट बांड्स (सी), सरकारी प्रतिभूतियां (जी) और वैकल्पिक आस्तियों में सक्रिय रूप से अपने अंशदान आवंटित करने का विकल्प इस प्रकार से है :

आस्ति वर्ग	अधिकतम सीमा
आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियां)	100%
आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट बांड्स)	100%
आस्ति वर्ग ई (इक्विटी)	75%
आस्ति वर्ग ए (वैकल्पिक आस्तियां)	5%

हालांकि, आस्ति वर्ग ई पर 75% की सीमा 2.5% प्रतिवर्ष की दर से कम होती जाती है और अभिदाता के 51 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी प्रतिभूतियों में पुनः-आवंटित की जाती है। आयुवार अधिकतम इक्विटी सीमा निम्नलिखित आव्यूह पर आधारित है :

आयु	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60 और अधिक**
अधिकतम इक्विटी	75	72.5	70	67.5	65	62.5	60	57.5	55	52.5	50

3. उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, प्राधिकरण द्वारा सक्रिय विकल्प के तहत टियर-I में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में **51 वर्ष की आयु से अंशदान कम करने की किसी भी शर्त के बिना** अभिदाता के अंशदान का 75% आवंटित करने के विकल्प को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

4. इसके अतिरिक्त, सक्रिय विकल्प के तहत टियर-II (वैकल्पिक खाते) में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में अंशदान कम करने की किसी भी शर्त के बिना अभिदाता के अंशदान का 100% आवंटित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

बी 14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26517501, 26517503, 26133730, फैक्स : 011–26517507, वेबसाईट : www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Phone : 011-26517501, 26517503, 26133730, Fax : 011-26517507, Website : www.pfrda.org.in

टियर I के तहत निजी क्षेत्र अभिदाता और टियर II के सभी अभिदाताओं के लिए अब लागू होने वाली आस्ति वर्ग एक्सपोज़र सीमा निम्नलिखित सारणी में प्रदान की गई है :

टियर –I	
आस्ति वर्ग	**अधिकतम सीमा**
आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियां)	100%
आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट बांड्स)	100%
आस्ति वर्ग ई (इक्विटी)	75%
आस्ति वर्ग ए (वैकल्पिक आस्तियां)	5%

टियर -II	
आस्ति वर्ग	**अधिकतम सीमा**
आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियां)	100%
आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट बांड्स)	100%
आस्ति वर्ग ई (इक्विटी)	100%

5. पेंशन निधियों ने विभिन्न आस्ति वर्गों के तहत योजनाओं में निहित जोखिमों के स्तर को बताने के लिए जोखिम प्रोफाइलिंग तैयार की है। निवेश योजना / आस्ति वर्ग चुनने से पहले, अभिदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से आस्ति वर्ग के प्रदर्शन और इसमें शामिल जोखिमों का मूल्यांकन करें और योजना के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार निवेश विकल्प का चयन करें। योजनाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग संबंधित पेंशन निधियों की वेबसाइट और एनपीएस न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6. उपर्युक्त संशोधन के अधीन, उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र में सम्मिलित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

7. यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 23 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) के उपखंड (ख) और समय-समय पर यथा संशोधित पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के विनियम 14 के उप-विनियम (1) के तहत प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

8. यह संशोधन इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होगा ।

भवदीय,

(ए. के. सोनी)
कार्यकारी निदेशक

PFRDA/2022/31/REG-PF/04 Date: 20th October, 2022

CIRCULAR

To
Subscribers under NPS-All Citizen Model and NPS-Tier-II,

SUBJECT:

(i) Allowing option to allocate 75% of subscriber's contribution in Asset Class E (Equity) in Tier-I under active choice without any conditions of tapering from the age of 51 years under NPS Private Sector, and

(ii) allowing option to allocate 100% of subscriber's contribution in Asset Class E (Equity) in Tier-II (optional account) under active choice without any conditions of tapering from the age of 51 years -reg.

Reference is invited to the Circular No. PFRDA/2018/03/PF/03 dated 22nd May, 2018 issued by the Authority.

2. Under NPS-All Citizen Model, subscribers have the option to select any one of the registered Pension Funds and actively allocate their contributions across 04 Asset Classes, i.e. Equity (E), Corporate Bonds (C), Government Securities (G) and Alternate Assets (A) with 'Active Choice' as below:

Asset Class	Max limit
Asset Class **G** (Government Securities)	100%
Asset Class **C** (Corporate Bonds)	100%
Asset Class **E** (Equity)	75%
Asset Class **A** (Alternate Assets)	5%

However, the limit of 75% on asset class E gets tapered off @ 2.5% every year and is re-allocated to Government securities when subscriber attains 51 years of age. The age-wise maximum equity limit is based on the following matrix:

Age	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60 & above
Max Equity	75	72.5	70	67.5	65	62.5	60	57.5	55	52.5	50

3. In partial modification to the above-mentioned circular, it has been decided by the Authority to allow option to allocate 75% of subscriber's contribution in Asset Class E (Equity) in Tier-I under active choice **without any conditions of tapering from the age of 51 years.**

बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110010
दूरभाष : 011-26517501, 26517503, 26133730, फैक्स : 011-26517507, वेबसाईट : www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Phone : 011-26517501, 26517503, 26133730, Fax : 011-26517507, Website : www.pfrda.org.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

4. Further, it has been decided to allow option to allocate 100% of subscriber's contribution in Asset Class E (Equity) in Tier-II (optional account) under active choice without any conditions of tapering.

The Asset class wise exposure limits that will now be applicable to private sector subscribers under Tier I and to all subscribers in Tier II are tabulated below:

Tier –I	
Asset Class	**Max limit**
Asset Class **G** (Government Securities)	100%
Asset Class **C** (Corporate Bonds)	100%
Asset Class **E** (Equity)	75%
Asset Class **A** (Alternate Assets)	5%

Tier-II	
Asset Class	**Max limit**
Asset Class **G** (Government Securities)	100%
Asset Class **C** (Corporate Bonds)	100%
Asset Class **E** (Equity)	100%

5. Pension Funds have prepared risk profiling of the respective schemes under different asset classes to disclose the level of inherent risks involved. Before choosing the investment scheme/asset class, subscribers are advised to independently evaluate the performance of asset class and the risks involved and choose the investment option according to the risk profile of the Scheme. The risk profiling of the schemes is available on the websites of respective Pension Funds and website of NPS Trust.

6. Subject to the above revision, all other terms and conditions as contained in the aforementioned circular shall remain unchanged.

7. This circular is issued in exercise of powers of the Authority under sub-clause (b) of sub-section (2) of Section 14 read with Section 23 of the PFRDA Act, 2013 and sub-regulation (1) of Regulation 14 of PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015 as amended from time to time.

8. The revision shall be effective from the date of this circular.

Yours sincerely,

(A. K. Soni)
Executive Director